चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/24
दिनांक : 18.10.2006

सचिव,
शिवालिक इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन,
सहारनपुर

महोदय,

माननीय कुलाधिपति सचिवालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या-1151/जी.एस. दिनांक 11.08.2006 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कुलाधिपति महोदय ने आपके संस्थान को उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के अधीन स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में शिक्षण सत्र 2005-2006 (दिनांक 01.07.2005) से 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता सहित सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा संस्था को निर्देश दिया है कि भविष्य में उनके द्वारा आरक्षण नियमों का विधिवत पालन किया जायेगा तथा सम्बद्धता हेतु निर्धारित समस्त शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी अन्यथा संस्था के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। उक्त संदर्भ में कुलपति जी के आदेशानुसार आपके संस्थान को बी0एड0 पाठ्यक्रम में सत्र 2005-2006 से सम्बद्धता की स्वीकृति उपरोक्त शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है तथा निर्देश दिया जाता है कि संदर्भित पाठ्यक्रम में प्रवेश विश्वविद्यालय/राजभवन के निर्देशों के अन्तर्गत ही किये जायेंगें।

भवदीय,

(एस0सी0 गुप्ता)
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. संकायाध्यक्ष शिक्षा विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
3. सचिव कुलपति को कुलपति जी के सूचनार्थ।
4. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
5. प्रभारी, कमैटी सैल, चौधरी चरण सिह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

(एस0सी0 गुप्ता)
कुलसचिव